

दिनांक

आदेश

28/06/19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक जयन्त लाल सिंह पुरती पिता- स्व० दामु पुरती ग्राम- तोलगोएसाई, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- मतकमहातु, थाना- 642, खाता नं०- 22, प्लॉट नं०- 1452, रकवा - 0.08 $\frac{3}{4}$  एकड़ भूमि क्रेता अंजु देवगम, पति- श्री सतारी देवगम, ग्राम-पुरनियाँ, थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर ना० मु० सं०- 36(m)/16-17 द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 420, दिनांक- 21.06.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शिक्षा एवं ईलाज हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता अंजु देवगम, पति- श्री सतारी देवगम, ग्राम- पुरनियाँ, थाना- मुफसिल, चाईबासा के पास 4,00,000.00/- (चार लाख) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति प्रयाप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता जयन्त लाल सिंह पुरती पिता- स्व० दामु पुरती ग्राम- तोलगोएसाई, थाना- मुफसिल क्रेता अंजु देवगम, पति- श्री सतारी देवगम, ग्राम- पुरनियाँ, थाना- मुफसिल के पास जमीन का 4,00,000.00/- (चार लाख) रुपये में मौजा- मतकमहातु, थाना- 642, खाता नं०- 22, प्लॉट नं०- 1452, रकवा - 0.08 $\frac{3}{4}$  एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ..... ~~स्वीकृत~~ दी जाती है।

लेखापित।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।